भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1071

बुधवार, 19 दिसंबर 2018 / 28 अग्रहायण, 1940 (शक)

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में महिला कामगारों के लिए प्रोत्साहन योजना

1071. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ऐसी किसी प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव किया गया है जिसमें महिलाओं को 15,000 की अधिकतम मजदूरी की दर से काम पर रखने वाले नियोक्ताओं को सात सप्ताह की मजदूरी की प्रतिपूर्ति की जाएगी और 26 सप्ताह का प्रदत्त मातृत्व लाभ दिया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित योजना सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छे ढंग से कार्यान्वित की जा सकती है किन्तु निजी और ठेके की नौकरियों में नहीं;

(ग) यदि हां, तो सरकार प्रस्तावित योजना के निजी क्षेत्र में समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाएगी; और

(घ) सरकार के पास निजी क्षेत्र में महिला कामगारों के लिए प्रस्तावित योजना के अलावा क्या-क्या विकल्प हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): सरकार उन कंपनियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना पर कार्य कर रही है जो अपनी महिला कर्मचारियों को प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 में यथा उपबंधित 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्रदान करती हैं। किसी कंपनी को इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने हेतु समर्थ बनाने

के लिए, उस कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी प्रति माह 15,000/- रुपये से कम मजदूरी पाने वाली और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कम से कम एक वर्ष से सदस्य होनी चाहिए और वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से प्रशासित की जानी प्रस्तावित है।

(ख): यह योजना ठेकागत नौकरियों सहित सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू की जानी प्रस्तावित है और इसलिए इसे ईपीएफओ के माध्यम से उक्त सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा सकता है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का प्रवर्तन और कार्यान्वयन खानों एवं सर्कस उद्योगों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का कड़ाई से प्रवर्तन और अनुपालन करने हेतु समय-समय पर परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं। वैकल्पिक रूप से 2022 तक सभी जिलों में ईएसआईसी छत्र के विस्तार के उद्देश्य के साथ ईएसआईसी 2.0 वर्जन महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करेगा।

*****